POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 12.04.2025

1.थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी के 4500 रूपये नगद, अवैध हथियार व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.04.2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चेकिंग के दौरान 03 शातिर अपराधी 1.मनीष पुत्र महाराज सिंह 2.विशाल कुमार पुत्र बलबीर सिंह 3.अरशद पुत्र शकील को एफएनजी रोड, सेक्टर-140 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी, चोरी के 4500 रूपये नगद, एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो रास्ते में सुनसान जगहों पर खडे व्यक्तियो को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे अपनी बातो में उलझाकर सवारी/यात्री द्वारा बताये गये स्थान से पहले ही उसका सामान चोरी कर गाड़ी से उतारकर भाग जाते है। अभियुक्तों द्वारा इसी प्रकार दिनांक 07.04.25 की रात्रि को वादी को सेक्टर-142 मेट्रो स्टेशन से बैठाकर अपनी बातो में उलझाकर उसका एक मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी व नगद रूपये चोरी कर लिये थे। उक्त घटना से संबंधित रुपए व मोबाइल को बरामद कर लिए गए है। इसके अतिरिक्त इस घटना में संलिप्त अभियुक्त मनीष पूर्व में भी थाना दादरी से जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मनीष पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम भूपखेडी, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद वर्तमान पता एच.आई.जी अपार्टमेन्ट, ओमिक्रान प्रथम, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।
2. विशाल कुमार पुत्र बलबीर सिंह निवासी ग्राम बचरोली, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर वर्तमान पता सेक्टर-37, ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष।
3. अरशद पुत्र शकील निवासी ग्राम पटवारी नगला, थाना सिविल लाइन, जनपद अलीगढ वर्तमान पता एच.आई.जी अपार्टमेन्ट, ओमिक्रान प्रथम, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 533/2018 धारा 396,412,34,201 भादवि, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर बनाम मनीष।

बरामदगी का विवरण--

1. अभियुक्त मनीष के कब्जे से चोरी का मोबाइल सैमसंग कम्पनी व एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस
2. अभियुक्त विशाल कुमार के कब्जे से चोरी के 2000 रूपये नगद व एक अवैध चाकू
3. अभियुक्त अरशद के कब्जे से चोरी के 2500 रूपये नगद
4. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

2.थाना फेस-3 पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 मोबाइल फोन, 03 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.04.2025 को थाना फेस-3 पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व गोपनीय सूचना की सहायता से मोबाइल फोन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1- शुभम पुत्र महेन्द्र कुमार मिश्रा 2-धीरज पुत्र मनेश्वर माझी 3-प्रिंन्स पुत्र हरिओम कुमार को डंपिग ग्राउण्ड सै0-68 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 08 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के, 03 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 77 ए.क्यू 4846 बरामद हुयी है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो नोएडा व एनसीआर के आस-पास के भीड़भाड़ वाले स्थानो से मोबाइल फोन चोरी करके कम दामो में बेचकर लाभ कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शुभम पुत्र महेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी ककवन थाना ककवन जिला कानपुर नगर वर्तमान पता चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63 नोएडा उम्र 19 वर्ष।
2. धीरज पुत्र मनेश्वर माझी निवासी गरखा, थाना गरखा, जिला छपरा (बिहार) वर्तमान पता चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63 नोएडा उम्र 19 वर्ष।
3. प्रिंन्स पुत्र हरिओम कुमार निवासी चोटपुर कॉलोनी, थाना सेक्टर-63 नोएडा उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 152/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 08 मोबाइल फोन
2. 03 अवैध चाकू
3. घटना में प्रयुक्त एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 यूपी 77 ए.क्यू 4846

3.अपराध शाखा गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एम0आई0पी0 बाइक धोखाधडी के प्रकरण में वांछित 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.04.2025 को अपराध शाखा गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एम0आई0पी0 बाइक धोखाधडी के प्रकरण में वांछित 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त जितेन्द्र खण्डवाल पुत्र मदनलाल को मेट्रो स्टेशन सेक्टर-59, नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं और मेरे साथी लोग एम0आई0पी0 कम्पनी के प्रमोटर थे। हम लोग, लोगो को एडवाईज देते थे कि आप एक बाइक लगाने हेतु 62,100 रूपये जमा करेंगे तो उससे आपको 01 वर्ष तक 10,100 प्रतिमाह मिलेंगे तथा 5,000 रुपया कमीशन उसी वक्त मिलेगा। अभियुक्त जितेन्द्र खण्डवाल उपरोक्त के भाई राजेश खण्डवाल ने मैपल इनोवेटिव प्रमोटिव के नाम से यह कम्पनी बनाई थी इसमें कई करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र खण्डवाल उपरोक्त के खाते में 30 लाख रूपये आये है। इसके बाद में यह कम्पनी पैसा लेकर के भाग गयी थी। यह कम्पनी फर्जी तरीके से लोगों के साथ धोखाधडी कर रही थी जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र खण्डवाल द्वारा भी बहुत लोगो से पैसे लगवाये गये थे। इसके बाद यह भी नोएडा से भाग गया था।

अभियुक्त करीब 05 वर्षो से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 25,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारअभियुक्त का विवरण--

1. जितेन्द्र खण्डवाल पुत्र मदनलाल निवासी प्रथम फ्लोर साठ फुटा रोड मोलर 1 एकस्टेन्शन बदरपुर, साऊथ दिल्ली अन्य पता गांधी कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-349/19, धारा 420, 467, 468, 120बी, 506 भादवि थाना सै0-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-635/19, धारा 420, 467, 468, 120बी, 506 भादवि थाना सै0-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-629/19, धारा 420, 467, 468, 120बी, 506 भादवि थाना सै0-58, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-627/19, धारा 420, 467, 468, 120बी, 506 भादवि थाना सै0-58, नोएडा।